उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 255–पार0अनु0–04/पाट्राकालि–2023–18/14 टी0सी0 दिनांकः 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–198–का0वि0नी0एवंविनियम–29/पाकालि/2019–10–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 08.04.2019 को आंशिक संशोधन सहित एतदद्वारा अंगीकृत करते हुए निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 (वेतनमान रू0 1200–1800) के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्र0–30 (पदनाम–तकनीशियन ग्रेड–।। (लाइन) वर्तमान में तकनीशियन (लाईन)) में वर्णित तालिका को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–141–का0वि0नी0 एवं विनियम–29/पाकालि/2019–10–काविनी एवं वे0प्र0/17 दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से निर्धारित की गई तालिका–01 की व्यवस्था को तालिका–02 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

तालिका–01

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6
30.	लाइनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड–2 (लाइन)	(1) मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT/ SCVT) का होना आवश्यक है:– (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाइनमैन (घ) इलेक्ट्रिकल (2) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (3) Basic skill test* –तकनीशियन (लाइन) के पद के आवश्यक कार्य (यथा–पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) से सम्बन्धित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	देवनागरी लिपि पढ़ना –लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

* (चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन (लाईन) (प्रशिक्षु) के पद पर की जायेगी। नियुक्ति के पश्चात 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षणोपरान्त मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन (लाईन) के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमित किये जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।)

तालिका–02

क्र0सं0	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6
30.	लाइनमैन, टावरमैन	तकनीशियन (लाइन)	(1) मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र (NCVT/ SCVT) का होना आवश्यक है :– (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाइनमैन	देवनागरी लिपि पढ़ना– लिखना जानता हो और श्रेणी प–3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प–2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(क्रमशः..........2)

			(घ) इलेक्ट्रिकल (2) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (3) Basic skill test*– तकनीशियन (लाइन) के पद के आवश्यक कार्य (यथा–**पारेषण उपकेन्द्र का अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा पारेषण लाइनों में अनुरक्षण का कार्य** इत्यादि)		

* (चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन (लाईन) (प्रशिक्षु) के पद पर की जायेगी। नियुक्ति के पश्चात 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षणोपरान्त मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन (लाईन) के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमित किये जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।)

2. सीधी भर्ती के माध्यम से तकनीशियन (लाइन) के पद पर नियुक्ति हेतु विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। परीक्षा से सम्बन्धित विषय एवं प्रक्रिया का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

3. विज्ञप्ति सं० 263–विनियम 23 / रा०वि०प०–95–4–विनियम / 86 दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम–9 का परिशिष्ट–1(क) की श्रेणी–प–4 (वेतनमान रू० 1200–1800) के बिन्दु–(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक–30 में (टी०जी०–।। (लाइन) वर्तमान में तकनीशियन (लाइन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता एवं भर्ती का स्रोत) उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :255(।)–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि / 2023 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8. संयुक्त सचिव (पारेषण–।), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (पारेषण–। / ।।), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)